औद्योगिक लाइसेंस तीन की जगह 15 साल तक मान्य

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि आईडीआर अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंस तीन साल के बजाय 15 वर्ष के लिए वैध होंगे। लाइसेंस जारी करने के प्रावधान उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम के तहत किए गए हैं।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने कहा पहले जारी सभी प्रेस नोट को निरस्त कर औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को तीन साल से बढ़ाकर 15 साल किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि संबंधित मंत्रालय निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप तीन साल के लिए लाइसेंस अवधि बढ़ा सकता है।